



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238983
CG-DL-E-21092022-238983

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4188]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944

No. 4188]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का.आ. 4372(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2783 दिनांक 17 जून 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के आगर मालवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752डी (पुराना रा.रा. 148 एन. जी.) के कि.मी. 72.000 से कि.मी. 89.200 तक (उज्जैन गरोठ ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट) के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "समाचार पत्र की दिनांक 22 जून 2022" को "दैनिक भास्कर" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के आगर मालवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752डी (पुराना रा.रा. 148 एन. जी.) (उज्जैन गरोठ ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: आगर मालवा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बड़ोद				
	गांव का नाम: बरखेड़ा बड़ोद				
1	38/1/1	निजी	सिंचित	0.05	वजेसिंह पिता फूलसिंह जाती राजपूत (38/1/1)
2	618/2	निजी	सिंचित	0.031	उमराव सिंह पिता सरदार सिंह जाती राजपूत (618/2)
	गांव का नाम: जमुनिया बड़ोद				
3	810/3	सरकारी(पट्टेदार)	असिंचित	0.02	रेशम पिता नारायण, तेजाबाई पति नारायण निवासी जमुनिया बड़ोद (810/3)
4	810/4	सरकारी(पट्टेदार)	असिंचित	0.29	कालू पिता फत्ता, कालीबाई पति कालू जाती चमार निवासी जमुनिया (810/4)
5	838/2	निजी	सिंचित	0.02	सोहनबाई पति इन्दरसिंह जाती राजपूत निवासी जमुनिया (838/2)
	गांव का नाम: जीनाखेडी				
6	362	सरकारी	असिंचित	0.02	शासकीय (362)
7	419	सरकारी	असिंचित	0.13	शासकीय (419)

	गांव का नाम: काचरिया				
8	39/3/2	निजी	सिंचित	0.002	श्यामसिंह पिता फतेसिंह (39/3/2)
	गांव का नाम: लोधाखेड़ी				
9	638/1	निजी	इरिगेटेड	0.003	दिलीपसिंह पिता सरदार सिंह रजनीबाई बेवा सरदार सिंह (638/1)
	गांव का नाम: लोटियाकिशना				
10	791/1	निजी	सिंचित	0.07	भुवानसिंह राघुसिंह पिता पुरसिंह जोरावर बाई भगवान् बाई, रामकुंवरबाई पुत्री पूरसिंह, बालू सिंह पुत्र चंदर सिंह, मुंदकुंवर बाई विधवा चंदरसिंह, भारतबाई पुत्री चंदर सिंह, मानकुंवर बाई पुत्री भेरूसिंह, भगवान सिंह पुत्र अनार सिंह, श्यामसिंह, शिव सिंह, किशनसिंह पुत्र चंदर सिंह, फूलकुंवर बाई विधवा चंदर सिंह दुलेसिंह, सरदारसिंह पुत्र गुलाब सिंह (791/1)
	गांव का नाम: महुडिया बड़ोद				
11	1044/1	निजी	सिंचित	0.002	नर्मदाबाई पिता टिकाराम (1044/1)
12	1287/4	निजी	सिंचित	0.11	भेरूलाल, शिवलाल, बट्टीलाल, बालू पिता रामा (1287/4)
13	1293/1757	सरकारी	असिंचित	0.043	शासकीय (1293/1757)
14	855/1	निजी	सिंचित	0.014	किशनसिंह पिता भगवान् सिंह (855/1)
15	877/1	निजी	सिंचित	0.008	शंकरसिंह पिता शम्भू सिंह (877/1)
16	900/4/1	निजी	सिंचित	0.015	मानसिंह पिता धुल सिंह (900/4/1)
	गांव का नाम: रामाखेड़ी				
17	164/1	सरकारी	असिंचित	0.09	शासकीय

					(164/1)
18	448	सरकारी(पट्टेदार)	असिंचित	0.08	नागु पुत्र गोपाल कालीबाई, रामकन्या पु. गोपाल, बसंनबाई विधवा गोपाल, (448)
19	451	सरकारी(पट्टेदार)	असिंचित	0.06	सुहागबाई बेवा सेवा (451)
20	473/3/1	निजी	सिंचित	0.01	नारायणलाल पिता धन्नालाल (473/3/1)
गांव का नाम: सुहागढी					
21	277/1	निजी	सिंचित	0.026	नारायण, हीरालाल पिता माधु (277/1)
22	374/3/1	निजी	सिंचित	0.007	नरवरसिंह पिता हरिसिंह (374/3/1)
23	452	सरकारी	असिंचित	0.144	शासकीय (452)
			कुल	1.245	

[फा. सं. NHAI/PIU/Ujjain/LA Notification/2019/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2022

S.O. 4372(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S. O. No. 2783 (E) Dated 17 June 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-752D (Old 148NG) (Ujjain Garoth Greenfield Alignment) on the stretch of land from Km 72.000 to Km 89.200 (SDO Office Agar-Barod) in the district of AGAR MALWA in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Press” both dated 22 June 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH752D (Old 148NG) in the stretch of land from Km 72.000 to Km 89.200 (Ujjain Garoth Greenfield Alignment) in the district of AGAR MALWA in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: AGAR MALWA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Badod				
	Village: Barkheda Badod				
1	38/1/1	Private	Irrigated	0.05	Vajesingh S/o Phoolsingh Jati Rajput 38/1/1
2	618/2	Private	Irrigated	0.031	Umrao Singh S/o Sardar Singh Jati Rajput 618/2
	Village: Jamunya Badod				
3	810/3	Government(Pattedar)	Non Irrigated	0.02	Resham D/o Narayan, Tejabai W/o Narayan Nivasi Jamunia Baroda 810/3
4	810/4	Government(Pattedar)	Non Irrigated	0.29	Kalu S/o Fatta, Kalibai W/o Kalu Jati Chamar Nivasi Jamuniya 810/4
5	838/2	Private	Irrigated	0.02	Sohanbai W/o Inder Singh Jati Rajput Nivasi Jamuniya 838/2
	Village: Jinakhedi				
6	362	Government	Non irrigated	0.02	Government 362
7	419	Government	Non-Irrigated	0.13	Government 419
	Village: Kachariya				
8	39/3/2	Private	Irrigated	0.002	Shyam Singh S/o Fatesingh 39/3/2
	Village: Lodha Khedi				
9	638/1	Private	irrigated	0.003	Dilip Singh S/o Sardar Singh Rajnibai Widow Sardar Singh 638/1
	Village: Lotiya Kishna				
10	791/1	Private	Irrigated	0.07	Bhuwan Singh Raghu Singh S/o Pursingh Jorawar Bai Bhagwan Bai, Ramkunwarbai D/o Pur Singh, Balu Singh S/o Chander Singh,

					Mundkunwar Bai widow Chander Singh, Bharatbai D/o Chander Singh, Mankunwar Bai D/o Bherusinh, Bhagwan Singh S/o Anar Singh, Shyam Singh, Shiv Singh, Kishan Singh S/o Chander Singh, Phoolkunwar Bai widow Chander Singh Dulesingh, Sardar Singh S/o Gulab Singh 791/1
	Village: Mahudiya Barod				
11	1044/1	Private	Irrigated	0.002	Narmadabai S/o Tikaram 1044/1
12	1287/4	Private	Irrigated	0.11	Bherulal, Shivilal Badrilal, Balu S/o Rama 1287/4
13	1293/1757	Government	Non Irrigated	0.043	Government 1293/1757
14	855/1	Private	irrigated	0.014	Kishan Singh S/o Bhagwan Singh 855/1
15	877/1	Private	Irrigated	0.008	Shankar Singh S/o Shambhu Singh 877/1
16	900/4/1	Private	Irrigated	0.015	Mansingh S/o Dhul Singh 900/4/1
	Village: Ramakhedi				
17	164/1	Government	Non Irrigated	0.09	Government 164/1
18	448	Government(Pattedar)	Non Irrigated	0.08	Nagu S/o Gopal Kalibai, Ramkanya D/o Gopal, Basanbai widow Gopal, 448
19	451	Government(Pattedar)	Non Irrigated	0.06	suhag bai Widow seva 451
20	473/3/1	Private	Irrigated	0.01	Narayanlal S/o Dhannalal 473/3/1
	Village: Suhagadi				
21	277/1	Private	Irrigated	0.026	Narayan, Hiralal S/o Madhu 277/1
22	374/3/1	Private	Irrigated	0.007	Narwar Singh S/o Harisingh 374/3/1
23	452	Government	non Irrigated	0.144	Government 452
			TOTAL	1.245	

[F. No. NHAI/PIU/Ujjain/LA Notification/2019/3D]

RAJESH GUPTA, Director